

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 129 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

फिनोवा केपिटल प्राइवेट लिमिटेड जरिये अधिकृत अधिकारी गौरव कुमावत
रजिस्टर्ड कार्यालय:- 702, 7th फ्लोर, यूनिक एस्पायर, प्लॉट नंबर 13-14 कॉस्मो
कॉलोनी, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर-302021

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. रामचन्द्र वार्ड नम्बर 05, ढाणी रोलानिया थोई, तहसील खण्डेला, जिला-सीकर, राजस्थान 332719
2. श्रवणी देवी पत्नी रामचन्द्र वार्ड नम्बर 05, ढाणी रोलानिया थोई, तहसील खण्डेला, जिला-सीकर, राजस्थान 332719
3. ज्योति कुमारी पुत्री रामचन्द्र वार्ड नम्बर 05, ढाणी रोलानिया थोई, तहसील खण्डेला, जिला-सीकर, राजस्थान 332719
4. अशोक कुमार पुत्र रूड़ा राम 162 ढहर की ढाणी नंबर 04, कल्याणपुरा, तहसील नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान

—अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 21 जुलाई, 2025




1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री राहुल पारीक द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः रामचन्द्र, श्रवणी देवी पत्नी रामचन्द्र, ज्योति कुमारी पुत्री रामचन्द्र एवं अशोक कुमार पुत्र रूड़ा राम की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी रामचन्द्र के स्वामित्व की अचल अवासीय सम्पति ग्राम पंचायत थोई, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान में स्थित है। जिसमें भूमि,

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 490.66 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में गोपाल पुत्र गोमाराम की खातेदारी, पश्चिम दिशा में 9 फुट रास्ता बाद में धन्नाराम पुत्र सुखाराम का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में धन्नाराम पुत्र सुखाराम का भूखण्ड स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर कुल ₹8,49,959/- (अक्षरे रूपये आठ लाख उनचास हजार नौ सौ उनसठ) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 11.03.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 11.03.2025 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 क्रमशः रामचन्द्र, श्रवणी देवी पत्नी रामचन्द्र, ज्योति कुमारी पुत्री रामचन्द्र एवं अशोक कुमार पुत्र रुड़ा राम की ओर से पुनर्भुगतान




(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **रामचन्द्र** के स्वामित्व की अचल अवासीय सम्पत्ति **ग्राम पंचायत थोई, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 490.66 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में गोपाल पुत्र गोमाराम की खातेदारी, पश्चिम दिशा में 9 फुट रास्ता बाद में धन्नाराम पुत्र सुखाराम का मकान, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में धन्नाराम पुत्र सुखाराम का भूखण्ड स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के स्वीकृति आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **21 जुलाई, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकुल शर्मा)
(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर